कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास
**मध्यप्रदेश**

क्रमांक / जा.प्र.समिति / 115 / 1999 / 15282 भोपाल, दिनांक 7/7/17

प्रति,

1. कलेक्टर
जिला जबलपुर / दमोह म.प्र.।

2. पुलिस अधीक्षक,
जिला जबलपुर / दमोह म.प्र.।

विषयः– सुप्रज्ञ साईलस नेलसन आत्मज श्री सुधीर कुमार नेलसन के जाति प्रमाण पत्र की जांच के संबंध में छानबीन समिति द्वारा पारित आदेश पर कार्यवाही करने बाबत्।

विषयांतर्गत सुप्रज्ञ साईलस नेलसन आत्मज श्री सुधीर कुमार नेलसन निवासी– सिल्वर ओक कंपाउण्ड, नैपीयर टाउन जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश के संदेहास्पद जाति प्रमाण पत्र की जांच के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा राज्य स्तर पर अनुसूचित जनजाति के संदेहास्पद जाति प्रमाण पत्रों की छानबीन हेतु गठित समिति द्वारा दिनांक **28.06.2017** के पारित आदेश की प्रति संलग्न हैं।

कृपया विधि अनुरूप कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

अपर आयुक्त
आदिवासी विकास,
म.प्र.

पृ.क्रमांक / जा.प्र.समिति / 115 / 1999 / भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) मंत्रालय, भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय एवं अध्यक्ष छानबीन समिति भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जबलपुर मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
4. जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग दमोह मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
5. सुप्रज्ञ साईलस नेलसन आत्मज श्री सुधीर कुमार नेलसन निवासी– सिल्वर ओक कंपाउण्ड, नैपीयर टाउन जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।

अपर आयुक्त
आदिवासी विकास,
म.प्र.

मध्यप्रदेश शासन
आदिम जाति कल्याण विभाग
(अनुसूचित जनजाति संदेहास्पद जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति)

## आदेश

प्रकरण क्रमांक/115/1999

सुप्रज्ञ साईलस नेलसन आत्मज श्री सुधीर कुमार नेलसन
निवासी– सिल्वर ओक कंपाउण्ड, नैपीयर टाउन
जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश।

मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय का पत्र क्रमांक/एफ 13–18/99/25–5 दिनांक 6.7.99 के द्वारा संलग्न विविध याचिका क्रमांक 4938/98 श्री अनूप विलसन निवासी 923 नेपियर टाउन, नियर नागरथ चौक जबलपुर म.प्र. द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति संलग्न कर प्रकरण जांच हेतु उच्च स्तरीय छानबीन समिति को प्राप्त हुआ।

2. सुप्रज्ञ साईलस नेलशन आत्मज श्री सुधीर कुमार नेलसन निवासी ईसाई मोहल्ला दमोह द्वारा अपर तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी दमोह के दिनांक 3.12.92 एवं सुप्रज्ञ साईलस नेलशन आत्मज डॉ.एस.के.नेलसन निवासी नेपियर टाउन जिला जबलपुर द्वारा कार्यपालिक दण्डाधिकारी जिला जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक/405/ बी–121/82–93 दिनांक 28.4.93 से जारी **धनवार** अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया।

3. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार श्री सुप्रज्ञ साईलस नेलसन आत्मज श्री सुधीर कुमार नेलसन के संदेहास्पद जाति प्रमाण पत्र की जांच हेतु पत्र क्रमांक/जा.प्र.स./115/99/5136 दिनांक 4.3.2015 द्वारा पुलिस अधीक्षक जबलपुर एवं कार्यालयीन पत्र क्रमांक/जा.प्र.स./115/99/5138 दिनांक 4.3.2015 द्वारा पुलिस अधीक्षक दमोह म.प्र. को जांच कर जाति प्रतिवेदन भेजने हेतु लिखा गया। जांच प्रतिवेदन अप्राप्त होने पर कार्यालयीन पत्र दिनांक 26.3.2015 द्वारा पुनः स्मरण कराया गया।

4. पुलिस अधीक्षक जिला जबलपुर म.प्र. का जांच प्रतिवेदन क्रमांक/जिविशा/जबल/2015 (615) दिनांक 19.9.2015 द्वारा सुप्रज्ञ साइलस नेलसन के संदेहास्पद

जाति प्रमाण पत्र की जांच थाना प्रभारी ओमती जिला जबलपुर द्वारा प्रतिवेदित किया है कि :–

श्री सुप्रज्ञ साईलस नेलसन ने वर्ष 1973–1974 में क्राइस्ट चर्च स्कूल में शिक्षा प्राप्त की थी, जबकि भाई आदम सुश्रुत नेलसन वर्ष 1990 में क्राईस्ट चर्च स्कूल में कक्षा 10वीं में दाखिला लिया था जिसके संबंध में जानकारी चर्च स्कूल से प्राप्त की गई। साइलस सुप्रज्ञ नेलसन का कोई भी अभिलेख क्राईस्ट चर्च स्कूल में उपलब्ध नहीं है। जबकि सुश्रुत नेलसन का रिकार्ड प्राप्त हुआ, स्कूल प्रवेश फार्म तथा स्कालरशिप रजिस्टर में जाति का कोई उल्लेख नहीं है। इनके पिता, दादा के संबंध में प्रमाण पत्र जारी किया था, कि इनके पिता डॉ.सुधीर कुमार नेलसन धनवार जाति से संबंधित है।

5. पुलिस अधीक्षक जिला दमोह का जांच प्रतिवेदन क्रमांक/पुअ/दमोह/रीडर/337ई/15 दिनांक 4.12.2015 द्वारा विविध याचिका क्रमांक 4938/98 श्री अनूप विलसन आत्मज श्री एरियल विलसन द्वारा दायर याचिका के परिप्रेक्ष्य में सुप्रज्ञ साईलस नेलसन आत्मज श्री सुधीर कुमार नेलसन के संदेहास्पद जाति प्रमाण पत्र की जांच उप पुलिस अधीक्षक अजाक द्वितीय दमोह से करवाई गई, जिसमें प्रतिवेदित किया है कि :–

5.1 प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय में उनके द्वारा प्रवेश लेते समय शाला दाखिल पंजी (स्कालर रजिस्टर) में दर्ज करायी गई। क्राईस्ट चर्च हायर सेकेण्ड्री स्कूल जबलपुर के प्रमाण पत्र के आधार पर धनवार जाति का उल्लेख है, किन्तु स्कूल के दाखिला पंजी में क्रिश्चियन जाति का उल्लेख है।

5.2 पिता/चाचा/दादा के शाला के शैक्षणिक अभिलेखों में दादा श्री सुश्रत नेलसन के स्थानांतरण प्रमाण पत्र में धनवार जाति का उल्लेख है।

5.3 नगर पालिक दमोह के जन्म मृत्यु रजिस्टर में दिनांक 28.11.1940 सरल क्रमांक 1309 पर अनावेदक के पिता श्री एस.नेलसन की जाति ईसाई होना लेख है।

6. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/जा.प्र.स./115/99/1493 दिनांक 21.1.2016 द्वारा पुलिस अधीक्षक दमोह को विविध याचिका क्रमांक/4938/98 श्री अनूप विलसन आत्मज श्री एरियल विलसन द्वारा दायर याचिका के परिप्रेक्ष्य में सुप्रज्ञ साईलस नेलसन आत्मज श्री सुधीर कुमार नेलसन के संदेहास्पद जाति प्रमाण पत्र की जांच के संबंध में पुनः लिखा गया।

7. पुलिस अधीक्षक दमोह का जांच प्रतिवेदन क्रमांक/पु.अ./दमोह/रीडर/337 एच/15–16 दिनांक 18.3.2016 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि पिता/चाचा/दादाके शाला के शैक्षणिक अभिलेखों में स्पष्ट लेख किया है कि दादा श्री सुश्रत नेलसन के स्थानांतरण प्रमाण पत्र में धनवार जाति का उल्लेख है।

8 पुलिस अधीक्षक दमोह एवं पुलिस अधीक्षक जबलपुर से प्राप्त जांच प्रतिवेदनों को संलग्न कर अपना पक्ष रखने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक/जा.प्र.स./115/99/5977 दिनांक 9.3.2017 द्वारा सुप्रज्ञ साईलस नेलसन आत्मज श्री सुधीर कुमार नेलसन को कारण बताओं सूचना पत्र प्रेषित किया गया, जिसका जबाव इनके द्वारा नहीं दिया गया।

9. फलस्वरूप सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार व्यक्तिगत सुनवाई हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक/जा.प्र.स./115/1999/13919 दिनांक 20.6.2017 से उच्च स्तरीय छानबीन समिति की बैठक दिनांक 28.6.2017 से उपस्थिति हेतु सूचना पत्र जारी किया गया। श्री सुप्रज्ञ साइलस नेलसन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। साथ में इनके एडवोकेट श्री सिद्वार्थ गुलाटी भी उपस्थित हुए। समिति ने इन्हें सुना तथा प्रस्तुत वकालतनामा स्वीकार किया। सुनवाई में इन्होंने अवगत कराया कि अनूप नेलसन द्वारा प्रस्तुत याचिका अनुसार तथा उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार ही माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायालयीन निर्णय के आधार पर इस प्रकरण का निराकरण समिति द्वारा किया जाना है।

10. समिति ने पुलिस अधीक्षक जबलपुर और पुलिस अधीक्षक दमोह से प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथा सुनवाई के दौरान प्राप्त साक्ष्य के अनुसार निम्न निष्कर्ष पर पहुंची है :-

पिता/चाचा/दादा के शाला के शैक्षणिक अभिलेखों में दादा श्री सुश्रत नेलसन के स्थानांतरण प्रमाण पत्र में धनवार जाति का उल्लेख है।

उच्च स्तरीय छानबीन समिति की बैठक दिनांक 28.6.2017 में विचारोपरांत सुप्रज्ञ साईलस नेलशन आत्मज श्री सुधीर कुमार नेलसन निवासी ईसाई मोहल्ला दमोह द्वारा अपर तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी दमोह के दिनांक 3.12.92 एवं सुप्रज्ञ साईलस नेलशन आत्मज डॉ.एस.के.नेलसन निवासी नेपियर टाउन जिला जबलपुर द्वारा कार्यपालिक दण्डाधिकारी जिला जबलपुर ने प्रकरण क्रमांक/405/बी-121/82-93 दिनांक 28.4.93 से जारी **धनवार** अनुसूचित जनजाति के जाति प्रमाण पत्रों को वैध मान्य करती है।

(दीपाली रस्तोगी)
आयुक्त
आदिवासी विकास एवं
सचिव, उच्च स्तरीय छानबीन समिति
मध्यप्रदेश